

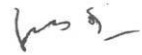
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ओ-71) अलेसे-1/ 715

दिनांक:- 18/12/19

कार्यालय आदेश

श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 3996), कार्यालय-उपकोषाधिकारी, बयाना, भरतपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 3996), कार्यालय-उपकोषाधिकारी, बयाना, भरतपुर का नाम परिवर्तित कर, "श्री ओमप्रकाश" के स्थान पर "श्री ओमप्रकाश रावत" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

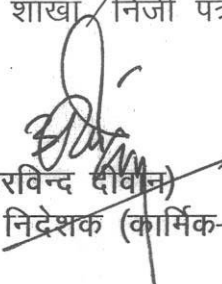

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ओ-71) अलेसे-1/ 715

दिनांक:- 18/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, भरतपुर।
2. उपकोषाधिकारी, बयाना, भरतपुर।
3. श्री ओमप्रकाश रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपकोषाधिकारी, बयाना, भरतपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(अरविन्द दीवाण)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)